न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री अंश दीप, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 93/2017

जी.सी.एम.एस. : 2017/00207

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. कानाराम पुत्र तुलसाराम जाति घांची, निवासी ढाबर तहसील रोहट जिला पाली 2. श्रीमती सुगनादेवी पत्नी कानाराम जाति घांची निवासी ढाबर तहसील रोहट जिला पाली		1. राजाराम पुत्र केसाराम जाति घांची, निवासी ढाबर तहसील रोहट, जिला पाली 2. ग्राम पंचायत ढाबर जरिए सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामसुन्दर पंचारिया
अप्रार्थी की ओर से श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित

–: निर्णय :–

जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

दिनांकः– 25/2/21

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के विरूद्ध प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 26.12.2000 तथा मिसल संख्या 34/2000–01 में पारित आदेश एवं उनकी पालना में अप्रार्थी राजाराम के हक में जारी पट्टा संख्या 6428 दिनांक 26.12.2000 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत ढाबर का रेकर्ड तलब किया गया, बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 का भूखंड व मकान ग्राम ढाबर में ढाब नाडी का बास में स्थित है। जिसके पूर्व दिशा में चौक एवं दक्षिण में रास्ते की भूमि स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 राजाराम ने सरपंच से मिलावट कर रास्ते की गली व सार्वजनिक चौक की भूमि हड़पने की नीयत से फर्जी तरीके से पट्टा प्राप्त कर लिया है। अप्रार्थी का भूखंड मौके पर 22 x 85 वर्ग फिट है। उसके पश्चिम में रास्ते की भूमि पर 10 फिट आगे की तरफ 40 फीट भूमि पर अतिक्रमण कर फर्जी मिसल बनाकर बिना प्रक्रिया के तैयार करवा कर यह पट्टा प्राप्त कर लिया, जो निरस्त किया जाने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने हस्ताक्षर से लिखित आवेदन भूमि का पट्टा हासिल करने हेतु पेश किया उस पर दिनांक का अंकन नहीं है भूमि का नाप व नक्शा नहीं है उसका कब्जा कब से है यह उल्लेख भी नहीं है। आवेदन के कई कॉलम खाली हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ढाबर हायर सैकण्डरी स्कूल में अध्यापक है मिसल अवलोकन से स्पष्ट है कि जैर निगरानी आराजी मिसल संख्या 34/2000–01 दर्ज की गई है। नक्शा किसके द्वारा बनाया गया ... का अभाव है। सरपंच की मोहर नहीं है। मिसल में दर्ज आदेशिका में दिनांक 08.09.2000, 06.10.2000, 20.10.2000 में सरपंच/सचिव किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है। आदेशिका दिनांक 24.12.2000 में दिनांक सभी जगह पर खाली ---- अंकित की गई है। आदेशिका दो बार अंकित की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:14:23 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

आदेशिका में तीन वार्डपंचों की कमेटी का नामसहित मनोनयन नहीं किया गया है जो जैर निरीक्षण आराजी का मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करे आफ्ती इश्तिहार जारी करने का आदेश तो आदेशिका दिनांक 20.10.2000 में दर्ज है परन्तु पत्रावली में इसकी कोई प्रति नहीं है। कहां चस्पां किया गया यह भी स्पष्ट नहीं है। दो स्वतंत्र गवाहों के आराजी बाबत कब्जा अथवा पुश्तैनी होने बाबत बयान नहीं लिये गये हैं पत्रावली पर बयान मौजूद नहीं है। आफ्ती नोटिस की म्याद कब पूरी हुई है यह भी अंकित नहीं है। इस प्रकार राजस्थान पंचायती राज नियमों में वर्णित नियम 145 से 151 तक की कोई विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए तदनुरूप पट्टा जारी नहीं किया गया है। नियम 161 के तहत ग्रामीण रास्ते व सार्वजनिक चौक की भूमि को ग्राम पंचायत विक्रय नहीं कर सकती है न ही पक्का निर्माण ही कर सकती है। जैर निगरानी पट्टे की भूमि पश्चिम भुजा 10 फीटx 100 फीट है तथा आगे की दिशा में 30 फीट x 32 फीट भूमि है। पश्चिम की भूमि का गलत तरीके से पट्टा बनाकर प्राप्त कर लिया है जो निरस्त योग्य है। मिसल में कहीं भी सरपंच सचिव के हस्ताक्षर नहीं है। कब्जा कितने वर्षों पुराना है, अंकित नहीं है। जैर निगरानी पट्टे में प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 26.12.2000 अंकित किया गया है लेकिन 26.12.2000 में ऐसा प्रस्ताव ही लिया जाना सिद्ध नहीं है। अर्थात जैर निगरानी प्रस्ताव ही नही लिया गया तथा पट्टा जारी कर दिया जो विधी विरूद्ध जारी किये जाने से निरस्त योग्य है। प्रार्थी द्वारा अपने पुराने मकान के एक ओर रास्ते की भूमि तथा आगे चौक की भूमि का पट्टा जारी कराया गया है जो स्पष्ट रूप से विधी विरूद्ध होने से भी निरस्त योग्य है।

वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र आबादी भूमि में पट्टा जारी कराने हेतु पेश किया गया। जिस पर मिसल कायम की गई, नक्शा बनाया गया, तीन वार्डपंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है। आपत्ति नोटिस भी जारी किया गया, तीन स्वतंत्र गवाहों के बयान भी लिए गए जो पत्रावली पर कुछ पन्ने फट गये हैं तथा कुछ नहीं है तो इस के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार नहीं है। पंचायत द्वारा की गई गलती का खामियाजा अप्रार्थी भुगते यह न्यायोचित नहीं है। अप्रार्थी को पट्टा नियम 157 के अन्तर्गत पुराने ग्रहों का विनियमितीकरण कर पट्टे जारी करने की शक्ति भी ग्राम पंचायत में निहित है तथा उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटन/पट्टा जारी किये जाने बाबत ग्राम पंचायत द्वारा संकल्प पारित किया जाकर आंवटन/पट्टा जारी करने की कार्यवाही की गई है जो पंचायत राज विभाग के द्वारा तत्समय जारी आदेश क्रमांक F 4 ( ) विधि/पं रा. वि./2011/1134 जयपुर दिनांक 01.07.2011 के अनुसार की गई है तीन वार्ड पंचों द्वारा मौका रिपोर्ट बनायी गई जिस पर हस्ताक्षर है। उससे स्पष्ट है कि कौन कौन वार्ड पंच द्वारा मौका रिपोर्ट बनायी गई थी उसमें भी नाप अंकित किया गया है। इस प्रकार समस्त नियमों की पालना कर पट्टा जारी किया गया जो यथावत रखा जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:14:23 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई। पत्रावली एवं [illegible] रेकर्ड का अवलोकन किया गया। इस निगरानी के विचारणीय बिन्दु [illegible] है :-

1. क्या प्रक्रिया का पालन किया जाकर पट्टा जारी किया गया है अथवा नहीं
2. क्या सार्वजनिक रास्ते/चौक की जमीन पर पट्टा जारी किया गया है अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत से प्राप्त मिसल के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेशिका पर ग्राम सेवक के हस्ताक्षर कहीं नहीं है। 20.10.2004 की आदेशिका तथा उसके बाद की

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

आदेशिका में हस्ताक्षर सरपंच द्वारा किए हुए है। सील नहीं लगाने से यह स्पष्ट नहीं है कि किसके हस्ताक्षर है लेकिन ग्राम सेवक के हस्ताक्षर कहीं भी नहीं है जबकि समस्त कार्यवाही ग्रामसेवक द्वारा लिखा जाना था। जिन आदेशिकाओं के अन्त में हस्ताक्षर नहीं हैं उन्हे आदेशिका नहीं माना जा सकता है।

जो नक्शा भूमि का बनाया गया है व नाप 5122.5 वर्ग फिट लिखा है उस पर भी प्रार्थी राजाराम व सरपंच भवरी के हस्ताक्षर अंकित है। ग्रुप सचिव के हस्ताक्षर का अभाव है शुल्क किसी प्रकार का जमा कराने का उल्लेख कहीं किया हुआ नहीं है। निरीक्षण प्रपत्र भरा गया है लेकिन उस पर तीन हस्ताक्षर हैं जो सरपंच से तस्दीक नहीं है कि वार्डपंचों के है न ही आदेशिकाओं में मनोनीत कमेटी के वार्डपंचों के नाम है। पत्रावली में आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उसे कहां चस्पां किया गया। किन मौत बिरानों के समक्ष चस्पां किया गया यह सब आपत्ति इश्तिहार पत्रावली में नहीं होने से इनका विवेचन संभव नहीं है न ही किसी गवाह के बयान पत्रावली पर है। प्रार्थन पत्र में कहीं पुराने ग्रहों का विनियमितीकरण करने का उल्लेख नहीं है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि पट्टा निर्धारित प्रक्रिया के तहत राजस्थान पंचायती राज नियम की पालना कर जारी नहीं किया गया है। रास्ते की भूमि एवं सार्वजनिक भूमी चौक का पट्टा जारी किया गया है यह निगरानीकर्ता साबित करने में असफल रहा है क्योंकि इस आशय का कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

इस प्रकरण में प्रश्नगत पट्टा पंचायती राज नियमों के अनुसार पालना कर जारी नहीं किया गया है तथा जिस प्रस्ताव संख्या 2 के द्वारा पट्टा जारी किया गया है पट्टे में भी इसका उल्लेख है। प्रस्ताव रजिस्टर में उल्लेखित दिनांक 26.12.2000 को प्रस्ताव संख्या 2 इस आशय का लिया ही नहीं गया था न किसी अन्य प्रस्ताव में अप्रार्थी के नाम पट्टा जारी करना उल्लेखित है, प्रस्ताव ही नहीं लिया गया है, न ही पट्टा जारी करने बाबत उल्लेख है। ऐसी स्थिति में जैर निगरानी पट्टे को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है जैर निगरानी ग्राम पंचायत ढाबर पंचायत समिति रोहट द्वारा उनके द्वारा पारित तथाकथित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 26.10.2000 मिसल संख्या 34/2000–01 में पारित आदेश तथा उसकी पालना में जारी पट्टा आबादी भूमि का विक्रय विलेख संख्या 6420 दिनांक 26.12.2000 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25/2/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:14:23 IST
Reason: SelfAttested